The Government has an extensive network of Short Stay Homes set up under the Juvenile Justice Act for protection and rehabilitation of the victims. The services of qualified doctors, psychiatrists are available in the Short Stay Homes. These services are available on part time basis in the Homes under Juvenile Justice Act.

Poverty is one of the main causes for child prostitution. Scheme for training, employment and income generation like IRDP, JRY, STEP, NORAD, SEP, RMK, TRYSEM and DWACRA are implemented in high supply areas of prostitution. These help to raise the economic status of women and families.

Social and religious customs like Devadasi system among certain communities also contribute to child prostitution. The concerned State Governments have enacted laws to eliminate this degrading practice.

A National Plan of Action for the SAARC Decade (1991-2000 AD) for the Girl Child focussing on survival, protection and development of the girl child has been formulated. A special set of interventions for adolescent girls has been institutionalised through the ICDS infrastructure. Programmes of Awareness Generation and advocacy are beign implemented to project positive images of the girl child so as to bring about changes in societal attitudes towards them.

Children of prostitutes need special care to prevent them from being exploited and inducted into prostitution. Removal of such children under the Juvenile Justice Act and their care, protection, treatment and rehabilitation are the steps taken by Government in this regard. Taking up ICDS projects, setting up of counselling-cum-creche centres, setting up centres to provide education, health, nutrition in red light areas are some interventions by Government and NGOs to care, protect and educate children of prostitutes.

चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा त्यागपत्र

628. **श्री विष्णुकान्त शास्त्री** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय में गत चार माह से प्राध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किये जा सकने के कारण विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने त्याग पत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में कोई कदम उठा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार श्री नानाजी देशमुख ने चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के कार्यालय से बिना कोई कारण बताये त्यागपत्र दे दिया था। इसमें आगे बताया गया है कि अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।

चूंकि विश्वविद्यालय राज्य विधान मंडल के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, अतः विश्वविद्यालय के अनुरक्षण व्यय के लिए निधियों के प्रावधान का उत्तरदायित्व पूर्णतया मध्य प्रदेश सरकार का है।

Constitution of Bhanu Pratap Committee to fix remunerative prices of agriculture produce

629. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the date on which Bhanu Pratap Committee was constituted by Government with a view to fix remunerative prices for the farmers in different sectors;

(b) whether the Committee has submitted its report;

(c) if so, the details of the main recommendations made by the Committee;

(d) whether these recommendations have been fully implemented and the time of fixation of remunerative prices for the year 1994-95;

(e) if not, the reasons therefor; and

(f) the details of remunerative prices fixed for 1994-95 in different sectors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The Bhanu Pratap Committee was constituted on 6th February, 1990 to review the policies and programmes for the promotion of agricultural development in the country.

(b) Yes, Sir.

(c) With regard to farm price policy, the Committee has made certain observations about inadequate margin of profit in wheat resulting in fall in farmers' income. It recommended taking up of statutory minimum wages as the basis for estimating cost of production, linking of support prices for farm products with parity price with base year price of 1970-71 = 100. CACP be made to function like a judicial tribunal according to clearly laid down scientific criterion before which all parties—producers, consumers, and traders-may have the opportunity to plead their case.

(d) and (e) The recommendations made by the Committee with regard to remunerative prices have been noted by the Government.

(f) A statement showing Minimum Support Prices fixed for major agricultural commodities for the 1994-95 Crop Year is enclosed.

Statement

Minimum Support Prices for the Crop Year 1994-95

(Rs. per quintal)

Sl. No.	Commodity	Variety	Minimum Support Price
1.	Paddy	Common	340
		Fine	360
		Superfine	380
2.	Coarse Cereals (Jowar, Bajra & Ragi)	FAQ	280
3.	Maize	FAQ	290
4.	Wheat	FAQ	360
5.	Barley	FAQ	285
6.	Gram	FAQ	670
7.	Arhar	FAQ	760
8.	Moong	FAQ	760
9.	Urad	FAQ	760
10.	Sugarcane	FAQ	39.10
11.	Cotton	F-414/H-777	1000
		H-4	1200
12.	Groundnut-in-Shell	FAQ	860
13.	Jute	TD-5 Grade	490
14.	Rapeseed/Mustard	FAQ	830
15.	Sunflower Seed	FAQ	900

Minimum Support Prices for the Crop Year 1994-95

(Rs. per quintal)

Sl. No.	Commodity	Variety	Minimum Support Price
16.	Soyabean	Black	570
		Yellow	650
17.	Safflower	FAQ	780
18.	Toria	FAQ	800
19.	Tobacco (Rs. per Kg.)	VFC-F-2*	18.50
		I-2 Grade**	21.00
20.	$Copra (Milling)	FAQ	2500
	Ball	FAQ	2725

@ — These prices are linked to a basic recovery of 8.5% with preportionate premium for every 0.1% increase above that level.

* — Black Soil.

** — Light Soil.

$ — For Calendar year.

दिल्ली विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति

630. **श्री दिग्विजय सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा ऐसे प्रत्येक स्रोत का नाम क्या है;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय/संबंधित कालेजों के पास शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और विश्वविद्यालय की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं; और

(घ) सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले घटकों के निवारण और उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिये क्या ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचनानुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में क्रमशः 2853.05 लाख रुपये, 3109.78 लाख रु० तथा 3301.96 लाख रुपये की राशि योजनेतर के अंतर्गत तथा 143.44 लाख रुपये, 23.00 लाख रुपये तथा 117.00 लाख रुपये की राशि योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को इन वर्षों के दौरान 107.50 लाख रुपये, 148.98 लाख रु० तथा 147.51 लाख रु० की राशि योजना के अंतर्गत तथा 6729.32 लाख रुपये, 7154.80 लाख रु० तथा 8032.10 लाख रुपये की राशि योजनेत्तर के अंतर्गत जारी की गई।

(ख) सरकार को अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय/कालेजों के कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान वि०अ०आ० द्वारा जारी की गई योजनेतर राशि में से किया जाता है। जिसकी मात्रा में गत तीन वर्षों में वृद्धि हुई है, जैसा कि ऊपर भाग (क) में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है।

(ग) एवं (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गए अपर्याप्त अनुदान

631. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य कालेजों को अपर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कालेजों में शिक्षकों के बहुत से पद इसलिये नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए धन उपलब्ध नहीं है; और